प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 सितम्बर, 2022

विषय:- जिला कारागार, कन्नौज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी जुबैदा बेगम पत्नी श्री अयूब, निवासी जनपद-कन्नौज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17272/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 17.05.2022, दिनांक 28.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बंदी जुबैदा बेगम पत्नी श्री अयूब, जो-भिकनीपुर्वा, थाना-ठठिया, जनपद-कन्नौज की निवासी है। महिला बंदी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 14.08.2017 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी बहू को जला दिया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-358/2017 में भा0द0वि0 की धारा-498ए,304बी व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, कन्नौज के आदेश दिनांक 12.09.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2021 तक 04 वर्ष, 00 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, एवं पुलिस अधीक्षक, कन्नौज द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में महिला बंदी द्वारा कारित दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध किये जाने से इंकार नही किए जाने, महिला बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी की सामाजिक एवं आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने की आख्या अंकित करते बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने महिला बंदी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 04 वर्ष, 00 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की भोगी गयी सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, कन्नौज द्वारा महिला बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त महिला बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बंदी जुबैदा बेगम (बन्दी संख्या-181/2018) पत्नी श्री अयूब, निवासी जनपद-कन्नौज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

संख्या-145/2022/1573(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कन्नौज ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कन्नौज ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।